न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-61RAAJodhpur2022-36RTA225 Omprakash ors Vs Kachhabaram etc

01. ओमप्रकाश पुत्र श्री भींयाराम
02. पप्पूराम पुत्र श्री भींयाराम
03. पुरखाराम पुत्र श्री भींयाराम
04. बुधांराम पुत्र श्री भींयाराम
05. हड़मानराम पुत्र श्री भींयाराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- भीमसागर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. काछबाराम पुत्र श्री गोपूराम
02. कालूराम पुत्र श्री गोपूराम
03. पूनाराम पुत्र श्री लालूराम
04. उरमा पुत्री श्री गिरधारीराम
05. ओमप्रकाश पुत्र श्री भींयाराम
06. दिनेश कुमार पुत्र श्री गिरधारीराम
07. पुनमचंद पुत्र श्री चैनाराम
08. पूनाराम पुत्र श्री गोपूराम
09. पूनी पत्नी श्री गिरधारीराम
10. प्रेमाराम पुत्र श्री गोपूराम
11. बगडूराम पुत्र श्री भागचंद
12. बंशीलाल पुत्र श्री भींयाराम
13. बाबूलाल पुत्र श्री गोपूराम
14. भरमलराम पुत्र श्री फूलाराम
15. भूराराम पुत्र श्री भींयाराम
16. भाकरराम पुत्र श्री गोपूराम
17. माणकराम पुत्र श्री भागचंदराम
18. मोहनराम पुत्र श्री भींयाराम
19. राकेश पुत्र श्री बाबूलाल
20. राजूराम पुत्र श्री भींयाराम
21. रामनिवास पुत्र श्री बाबुराम
22. श्रवण कुमार पुत्र श्री बाबुलाल
23. श्रवण कुमार पुत्र श्री गिरधारीराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

24. शिवप्रताप पुत्र श्री बाबुलाल
25. सुखलाल पुत्र श्री भागचंद
26. सुनिल पुत्र श्री बाबुलाल
27. सहीराम पुत्र श्री गोपुराम
28. सायरी देवी पत्नी श्री बाबुलाल
29. सांवताराम पुत्र श्री फुलाराम
30. हीराराम पुत्र श्री गोपूराम
    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- सामराउ, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
31. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. औसियां।
32. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार औसियां।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 18 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2022 ओमप्रकाश व अन्य बनाम काछबाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 32

नि र्ण य

दिनांक : 10 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2022 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम काछबाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 618 रकबा 40. 4199 हैक्टेयर, खसरा नं. 672 रकबा 15.5723 हैक्टेयर ग्राम सारणनगर, खसरा नं. 573 रकबा 2.2662 हैक्टेयर, खसरा नं. 573/2 रकबा 0.1457

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैक्टेयर, खसरा नं. 573/3 रकबा 4.9372 हैक्टेयर ग्राम शिवसागर तहसील औसियां के संबंध धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 दिंसबर 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर दिया, किंतु अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेंट्स को वादग्रस्त आरायाजीत में नलकूप खुदवाने व विघुत कनेक्शन लेने में छूट प्रदान कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय के समक्ष नलकुप खुदवाने एवं उस पर विघुत संबंध लेने की छूट का कोई आवेदन नहीं था तथा पत्रावली प्रारम्भिक स्तर पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत हुई थी। इस प्रकार की छूट का आदेश से मामले में भारी पेचिदगियॉ एवं कठिनाईयॉ उत्पन्न हो जाती है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अतः छूट का आदेश रद्द किया जाना एवं शेष आदेश यथावत रखा जाना न्याय हित में आवश्यक है। रेस्पोडेंट्स आलौच्य छूट की आड़ में अच्छी व कीमती भूमि में नलकूप खुदवाकर उस पर विघुत संबंध लेकर विशेष भूभाग पर कब्जा कर लेंगे, जिससे अपीलार्थीगण का दावा बेकार हो जायेगा एवं भूमि के विभाजन में कठिनाईयॉ उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश में नलकूप-विघुत संबंध की छूट प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर दी जो आदेश त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 फरवरी 2022 में अप्रार्थीगण को नलकूप खुदवाने व उस पर विद्युत संबंध लेने की छूट को अपास्त फरमाया जावे तथा शेष आदेश को यथावत रखे जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है, जिसके विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा विचारण न्यायालय मे विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में चाही गई इस्तदुआ के विपरीत किसी भी पक्षकार/रेस्पोडेंट की उपस्थिति अथवा उसके अनुतोष के विपरीत विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी पर नलकूप खुदवाने एवं विद्युत कनेक्शन लेने की छूट प्रदान की जाकर स्थाई प्रकृति के निर्माण की छूट दिया जाना पाया जाता है जो विधि विरूद्ध पाया जाता है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों विभाजन के वाद के विाचराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अप्रार्थीगण की भूमि में नलकूप खुदवाने व विद्युत कनेक्शन लेने की छूट की सीमा तक निरस्त किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2022 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम काछबाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2022 को अप्रार्थीगण **की भूमि में नलकूप खुदवाने व विघुत कनेक्शन लेने की छूट की सीमा तक** निरस्त किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर